

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंगरोड, पटना।

विज्ञापन सं०-२७ / २०२५

छात्रावास प्रबंधक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

1. पिछङ्गा वर्ग एवं अति पिछङ्गा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार पटना द्वारा संचालित जननायक कर्पूरी टाकूर छात्रावास एवं अन्य पिछङ्गा वर्ग कल्याण छात्रावास में छात्रावास प्रबंधक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों (जो भारत के नागरिक हों) से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाईट www.btsc.bihar.gov.in पर दिनांक १०.१०.२०२५ से १०.११.२०२५ तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त छात्रावास प्रबंधक हेतु पदों की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से है:-

पदनाम		वेतनमान						योग्यता	
छात्रावास प्रबंधक		सातवें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर-४ (अराजपत्रित)						अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:- बी. एस. सी. (आतिथ्य एवं होटल प्रशासन) में उत्तीर्णता। या स्नातक तथा होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में उत्तीर्णता।	
पदों की कोटिवार विवरणी।									
अनारक्षित	आधिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछङ्गा वर्ग	पिछङ्गा वर्ग	पिछङ्गा वर्ग की महिला	कुल	दिव्यांग (बिहार राज्य के मूलवासी हेतु)	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/ननी के लिए बिहार राज्य के मूलवासी हेतु
बिहार राज्य के मूलवासी महिलाओं हेतु 35% क्षेत्रिज आरक्षण सहित									
37	09	14	01	16	11	03	91	VH-01 HH-01 OH-01 MH-01	02
13	03	05	00	06	04	—	31		

नोट:- (i) दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गयी है:- VH-दृष्टि दिव्यांग, HH-मूळ बधिर दिव्यांग, OH-चलन दिव्यांग, MH-मनोविकार दिव्यांग/बहुदिव्यांग।

नोट:- (ii) आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि तक अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. आयु सीमा:-

- (i) ०१.०८.२०२५ को न्यूनतम आयु :-21 वर्ष।

अधिकतम उम्र सीमा:-

(a) अनारक्षित:-37 वर्ष

(b) अनारक्षित महिला:-40 वर्ष

(c) पिछङ्गा वर्ग/अत्यंत पिछङ्गा वर्ग (पुरुष/महिला):-40 वर्ष

(d) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला):-42 वर्ष

आंयोग द्वारा Matriculation या समतुल्य प्रमाण-पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जायेगी।

- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-९६२, दिनांक-२२.०१.२०२१ के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में १० वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-२३७४, दिनांक-१६.०७.२००७ एवं पत्रांक-१३१०७, दिनांक-२०.०९.२०१९ के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक) जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वैतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में ५ (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य हैं।

३. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अधिकारी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (a) जाति प्रमाण-पत्र
 - (b) स्थायी निवास / मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (a) कीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थी)
 - (b) स्थायी निवास / मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- (C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (a) आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र
 - (b) स्थायी निवास / मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थाई अधिवासा अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।
- नोट:-**(i) केवल जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु कीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। कीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र से इतर अन्य जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-६७३, दिनांक-०८.०३.२०११ के आलोक में महिला अधिकारीयों हेतु जाति (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु) एवं कीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु) पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। साथ ही इस प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-१५७६०, दिनांक-०२.०९.२०२२ के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।
- (iii) आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

आरक्षित कोटि

क्र० सं०	आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (SC)
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
6.	पिछड़े वर्गों की महिला (WBC)

- (iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव पंजीकरण के उपरांत नहीं किया जा सकेगा। दावा किये गये कोटि से इतर

कोटि का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(v) (क) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के 2342, दिनांक—15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% क्षेत्रिज आरक्षण देय होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र सं०—12575, दिनांक—09.07.2025 के आलोक में महिलाओं के लिए अनुमान्य कोटिवार 35% क्षेत्रिज आरक्षण मात्र बिहार के स्थाई निवासी को ही अनुमान्य होगा।

(vi) (क) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०—962, दिनांक—22.01.2021 के आलोक में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त संकल्प के Appendix-1 में संलग्न विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण—पत्र मान्य किया जायेगा, जिसे upload किया जाना एवं Online आवेदन के विहित कॉलम में दिव्यांगता का दावा करना आवश्यक होगा। अन्यथा दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण—पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के दिव्यांगता का जाँच आयोग स्तर पर भी मेडिकल बोर्ड गठित कर पुनः किया जायेगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या—8962, दिनांक—21.05.2025 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षेत्रिज आरक्षण अनुमान्य कराया जायेगा।

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या—10668, दिनांक—29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा—2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक की सुविधा अनुमान्य करायी जा सकेगी। जिस अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक—13185, दिनांक—03.09.2015 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—11687, दिनांक—30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण—पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक—16144, दिनांक—28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(ix) ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में आरक्षित कोटि/निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी के पोता—पोती, नाती—नतीनी होने का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

(x) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक—12722, दिनांक—12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/द्रांसजैंडर (थर्डजैंडर) को पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

4. आवेदन शुल्क:-

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक—15568, दिनांक—21.08.2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100/- (एक सौ रुपये) परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है।

ऑनलाइन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा रखतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेविट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग/UPI के माध्यम से Online Mode से ही जमा किया जायेगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा। (Note:- Payment of fee shall be accepted through online mode only.)

5. चयन की प्रक्रिया:- छात्रावास प्रबंधक के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी।

- (i) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की भेदासूची निम्न प्रकार तैयार की जायेगी:-

(a) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा (Computer Based Test) के लिए पूर्णांक	200 अंक
---	---------

- (ii) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा—आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए Computer Based Test के माध्यम से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा।

परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

- (a) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न-पत्र में कुल—100 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे।
 (b) परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 200 होंगे।
 (c) परीक्षा में स्नातक स्तरीय प्रश्न पुछे जायेंगे। जो निम्न विषयों के होंगे:-

क्र० सं०	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	General Knowledge, General Science, Current Affairs	25
2	Reasoning and Quantitative Aptitude	15
3	Application of ICT in hostel Management	05
4	General Hindi	08
5	General English	05
6	Administrative Aptitude	05
7	Topics related to Hotel Management	37

प्रश्न-पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे।

- (d) अधियाची विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम आयोग के Website पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा।
 (e) उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में Computer Based Test के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम समानीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा।
 (f) परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) लागू किया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 02 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु (0.50) काटा जाएगा।
 (g) उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की समानीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाते हुए Score Card प्रकाशित किया जाएगा।
 (h) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या—2374, दिनांक—16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक—962, दिनांक—22.01.2021 के द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग)

उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे।

- (iii) नियमानुसार, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण (Qualified) अभ्यर्थियों को विज्ञापन के कड़िका—5(i) में वर्णित प्रावधानुसार कोटिवार मेधासूची तैयार कर दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

नोट:- प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जायेगा।

6. महत्वपूर्ण निर्देशः—ऑनलाइन आवेदन—पत्र में योग्यता/आरक्षण/अंक पत्र, यथा—

- (i) Matriculation / दसवीं का मूल प्रमाण—पत्र
(ii)(क) बी. एस. सी. (आतिथ्य एवं होटल प्रशासन) का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण—पत्र/औपबंधिक प्रमाण—पत्र (Provisional Certificate)

अथवा

(क) स्नातक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण—पत्र/औपबंधिक प्रमाण—पत्र (Provisional Certificate), एवं

(ख) होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण—पत्र/औपबंधिक प्रमाण—पत्र (Provisional Certificate)

(iii) जाति प्रमाण—पत्र/क्रिमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण—पत्र

(iv) स्थायी निवास/आवासीय प्रमाण—पत्र

(v) बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का प्रमाण—पत्र

(vi) दिव्यांगता प्रमाण—पत्र

से संबंधित सूचना की प्रविष्टि कर उक्त सभी प्रमाण—पत्र/अंक पत्र विहित Column में Upload करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी प्रमाण—पत्र/अंक पत्र Upload नहीं किये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

उक्त सभी प्रमाण—पत्र/अंक पत्र वही मान्य होंगे, जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन—पत्र में किया है। उक्त सभी प्रमाण—पत्रों/अंक पत्र का संख्या एवं निर्गत तिथि का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में किया जाना एवं विहित Column में Upload किया जाना अनिवार्य होगा एवं उक्त सभी प्रमाण—पत्र/अंक पत्र दिनांक—10.11.2025 तक का निर्गत होना अनिवार्य है।

7. विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण—पत्र एवं अतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण—पत्र का स्वअभिप्राणित छायाप्रति निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

8. वैसे प्रमाण—पत्र/अंक पत्र जिसका उल्लेख/Upload Online Form में नहीं किया गया होगा, को आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन में स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं उक्त के आधार पर अर्हता/आरक्षण के अधिमानता से विचित रहने हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा उक्त के संबंध में कोई दावा मान्य नहीं किया जायेगा। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में केवल वही प्रमाण—पत्र/अंक पत्र का मूल से मिलान कर सत्यापन किया जायेगा, जो अभ्यर्थी द्वारा Online आवेदन में Upload किया गया है। अन्य कोई भी प्रमाण—पत्र/अंक पत्र आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय अभ्यर्थी द्वारा Online आवेदन में Upload किये गये सभी प्रमाण—पत्रों/अंक पत्रों को आयोग के Website से Download कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। अभ्यर्थियों को निर्देश है कि Online आवेदन में सुस्पष्ट एवं Clear दस्तावेज जो सही तरह से Scanner के माध्यम से Scan किया गया हो, को Upload करेंगे। धुँधला/अस्पष्ट/काला/अपठनीय दस्तावेज/प्रमाण—पत्र Upload होने पर दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय भी अभ्यर्थित्व समाप्त करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

9. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण—पत्र, अंक—पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में प्रमाण—पत्र नहीं प्रस्तुत करने/ त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण—पत्र, आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अहता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
10. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.btsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट का सतत निरीक्षण करते रहेंगे। अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने, S.M.Sअथवा E-mail के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किये जाने की बाध्यता नहीं होगी।
11. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग मुद्रित, टकित, हस्तालिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किये जायेंगे।
12. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। ऑनलाईन आवेदन में सुधार हेतु किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं वैसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जायेगा।
13. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु किसी भी दावे पर आयोग का निर्णय मान्य होगा।
14. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-
 - (i) ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी रसीद की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।
 - (ii) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा—निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही—सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
 - (iii) अभ्यर्थी, अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करेंगे।
 - (iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अपना ही कार्यरत Mobile Number एवं E-mail Id अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का Mobile Number एवं E-mail Id अंकित नहीं करेंगे।
 - (v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाईन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
 - (vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
 - (vii) **फोटोग्राफः—** (क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए। (तीन माह के अंदर का)
 - (ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए।
 - (ग) बैंकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा हटाकर फोटो खिचवायेंगे।

- (घ) कंडिका-14(vii)(क)(ख)(ग) में वर्णित निर्देशों के अनुरूप फोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- (viii) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा भाँगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (ix) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।
- (x) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अधियाची विभागों/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा आयोग के निर्णय के आलोक में विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है।
- नोट:-1.** अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण—पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण—पत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

BAN
५.१०.२०२५
 प्रभारी सचिव,
 बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।